जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 09.10.2025

"मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणात्मक कदम उठाते हुए, जनपद शामली की एक छात्रा को एक दिवस का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया।"

आज दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को जनपद शामली पुलिस द्वारा Mission Shakti 5.0 – फेज अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनमें आत्मविश्वास विकसित करने और नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रेरणादायी पहल की गई। इस पहल के अंतर्गत कक्षा 11 की मेधावी छात्रा, रिद्धि मित्तल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, शामली को "एक दिन की पुलिस अधीक्षक, शामली" बनाया गया।

यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और प्रशासनिक समझ के मेल का जीवंत उदाहरण रहा, जिसमें चयनित छात्रा को न केवल पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठाया गया, बल्कि उन्हें पूरे दिन का कार्यभार भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी को नजदीक से समझा और अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया।

◆ दिनभर निभाई जिम्मेदारियाँ :-

"एक दिन की पुलिस अधीक्षक" के रूप में छात्रा ने :-

- जनसुनवाई में भाग लिया और शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं
- महिला हेल्पलाइन (1090), आपात सेवा (112), साइबर सेल और किशोर न्याय प्रकोष्ठ का दौरा किया
- महिला सुरक्षा के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
- अधिकारियों से पुलिसिंग, कानूनी प्रक्रिया, और जनता से संवाद की बारीकियाँ सीखीं

उनकी उपस्थिति में पूरे कार्यालय परिसर में विशेष ऊर्जा और उत्साह का माहौल रहा।

◆ पुलिस अधीक्षक शामली, श्री एन. पी. सिंह का संदेश :-

पुलिस अधीक्षक शामली, श्री एन. पी. सिंह ने इस अवसर पर कहा:

"बेटियों को अगर मंच मिले, तो वे न केवल आगे बढ़ती हैं, बल्कि समाज को नई दिशा देती हैं। 'एक दिन की पुलिस अधीक्षक' बनाना केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, यह समाज को यह दिखाने का प्रयास है कि बेटियाँ भी प्रशासनिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उत्कृष्टता से काम कर सकती हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल को आगे भी नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल सके।

◆ समाज में गया सशक्त संदेश -

यह आयोजन जनपद में एक सशक्त संदेश बनकर उभरा — कि बेटियाँ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, वे निर्णय लेने की कुर्सी तक पहुँचने का सामर्थ्य रखती हैं। छात्रा को "एक दिन की पुलिस अधीक्षक" बनाना, केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक बीज रोपण है।

इस अवसर पर छात्रा के अभिभावक, विद्यालय के शिक्षकगण, अन्य छात्राएं, जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, और मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

जनपद शामली पुलिस का संकल्प

शामली पुलिस भविष्य में भी इसी प्रकार की सकारात्मक, नवाचारी और समाजोन्मुखी पहलों के माध्यम से बच्चों और विशेषकर बालिकाओं को सशक्त करने के प्रयास करती रहेगी। यह आयोजन एक उदाहरण है कि जब प्रशासन और समाज साथ आते हैं, तो परिवर्तन संभव होता है।

<u>सर्विलांस सेल शामली व थानो पर प्रचलित CEIR पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग कंपनियों के गुमशुदा 115 मोबाइल फोन अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बरामदः-</u>

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा जनपद में सितम्बर माह में गुमशुदा होने वाले मोबाइलों की शत प्रतिशत बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल/ थानो पर प्रचलित CEIR पोर्टल पर कार्य कर रहे कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया था, जिनके अनुपालन में सर्विलांस सेल/थानो पर प्रचलित CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों के गुमशुदा कुल 115 मोबाइल फोन बरामद किया गया। आज दिनाँक 09.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाइल धारकों से मिलकर उनके मोबाइल को उन्हें सुपुर्द किया गया एवं सर्विलांस सेल/CEIR पोर्टल पर कार्य कर रहे कर्मचारीगण द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से रुचि लेकर गुमशुदा मोबाइल बरामद करने पर पूरी टीम की सराहना एवं प्रशंसा की गयी।

मोबाइल धारकों द्वारा अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर शामली पुलिस को धन्यवाद देते हुये प्रशंसा की गयी और भविष्य में गुम/खोये हुये मोबाईलो के सम्बन्ध में जनता से अपील की गयी कि अपने स्थानीय थाने पर प्रचलित सीईआईआर पोर्टल में मोबाईल की रशीद, पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर अपलोड कराये, अपलोड होने के बाद आपके द्वारा दिये गये नम्बर पर रिक्वेस्ट नम्बर प्राप्त होगा और भविष्य में कभी भी आपका फोन किसी के द्वारा अगर प्रयोग किया जायेगा तो मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिसे सर्विलांस सेल/थाने के माध्यम से रिकवर किया जा सकेगा।

<u>मोबाईल बरामदगी का विवरण:-</u>

115 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के कीमत लगभग 25 लाख रुपये/-

<u>पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा पुलिस लाइन शामली से साइबर चौपाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।</u>

आज दिनाँक 09.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा पुलिस लाइन शामली से साइबर चौपाल एक्सप्रेस को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया गया । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि साइबर अपराध आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जिनसे बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। साइबर अपराधी लगातार नई-नई तकनीकों के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, ऐसे में जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी बचाव है।

अक्टूबर माह में मनाए जा रहे National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) के अंतर्गत जनपद शामली में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रारंभ की गई साइबर चौपाल एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य जन-जन तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुँचाना है। यह विशेष रूप से तैयार की गई जागरूकता गाड़ी पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन ठगी, एईपीएस फ्रॉड, फिशिंग, ओटीपी शेयरिंग, फेक लिंक, लॉटरी स्कैम, सोशल मीडिया फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय बताएगी।

यह चौपाल एक्सप्रेस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी थानों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुँचकर साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को यह बताया जाएगा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, बैंक विवरण या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें तथा किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल National Cyber Crime Helpline 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

इसके अतिरिक्त, शाम के समय मुख्य बाजारों, चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, संवाद कार्यक्रम और वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी, ताकि आमजन में डिजिटल सुरक्षा के प्रति विश्वास और सतर्कता दोनों विकसित हो सकें।

<u>आज दिनांक 09.10.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी यातायात श्रीमती अपेक्षा निम्बाड़िया के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस शामली द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विशेष अभियान चलाया गया।</u>

इस अभियान के दौरान जनपद शामली के विभिन्न स्थानो पर सघन वाहन चेकिंग की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की गई। वाहनों पर लगे जातिगत पोस्टर, अनुचित स्लोगन एवं भड़काऊ स्टिकर हटवाए गए। साथ ही, न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) भी वाहनों से उतरवाई गई। पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अनुचित पोस्टर/स्टीकर न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार नियम विरुद्ध काली फिल्म का उपयोग सुरक्षा दृष्टि से घातक है। जनपद की यातायात पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक भी किया गया कि वे अपने वाहनों पर किसी भी प्रकार के जातिगत पोस्टर, स्टीकर अथवा स्लोगन न लगाएँ तथा नियम विरुद्ध काली फिल्म का प्रयोग न करें। साथ ही वाहन चालकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में युवती/महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को दंडित किया गया।

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त संजय पुत्र राजू निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा युवती/महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 567/2020 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन करते हुए सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.10.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त संजय उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 294 भादवि में 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.संजय पुत्र राजू निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI